नम्बर
अहकाम
हुक्म पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.
में ज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

प्र.सं. 8/2020
जीसीएमएस : 2020/00069

राजाराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार निवासी 84 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
–प्रार्थी

बनाम

राजस्थाना सरकार जरिए तहसीलदार रायसिंहनगर
–:अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–
1. श्री सुखदर्शन सिंह थानर, वकील प्रार्थी
2. राजपैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक : 01.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक लखा टिब्बा का खाता सं. 514 के मु.नं. 110 प.नं. 258/273 के कि.नं. 1 ता 22/2 की 2.066है. बारानी भूमि व चक 84 आरबी बी का खाता सं. 93 के मु.नं. 12 प.नं. 250/266 की 0.431है. नहरी व 0.185है. बारानी भूमि व मु.नं. 15 प.नं. 253/266 की 0.371है. नहरी भूमि कुल 0.987है. नहरी बारानी भूमि खातेदारी हैं। प्रार्थी का सही नाम दस्तावेजों में राजाराम पुत्र कालूराम दर्ज हैं जबकि जमाबंदी रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलती से रजीराम पुत्र कालूराम दर्ज हो गया हैं। इसलिए नाम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं। आवेदक का सही नाम राजाराम पुत्र कालूराम आवेदक के सभी दस्तावेज बैंक रिकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड व चक 84 आरबी बी के खाता सं. 130 व 129 की कृषि भूमि जमाबंदी में सही दर्ज हैं। चक लखा टिब्बा का खाता सं. 514 व चक 84 आरबी बी का खाता सं. 93 की जमाबंदी रिकार्ड में रजीराम पुत्र कालूराम को दुरूस्त कर आवेदक का सही नाम राजाराम पुत्र कालूराम दुरूस्त करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/भू.अ./21/1265 दिनांक 13.08.2021 के अनुसार चक लखाटिब्बा की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं. 514 के प.नं. 258/273 मु.नं. 110 की कुल 2.066है. बारानी भूमि रजीराम पुत्र कालूराम कौम कुम्हार साकिन लखाहाकम खातेदार राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा रायसिंहनगर मूर्तहीन हैं। एवं चक 84 आरबी बी की जमाबंदी के खाता सं. 130 में राजाराम पुत्र कालूराम दर्ज हैं। अतः रजीराम पुत्र कालूराम व राजाराम पुत्र कालूराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। राजाराम पुत्र कालूराम की दुरूस्ती की अनुशंषा की जाती हैं।

बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का सही नाम राजाराम पुत्र कालूराम हैं। जो कि गलती से रजीराम पुत्र कालूराम दर्ज हो गया हैं। जिसकी दुरूस्ती की जानी न्यायोचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरूस्ती के आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की भूमि बैंक के राहिन दर्ज हैं। परन्तु प्रार्थी द्वारा बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। लेकिन प्रार्थी की ओर से शाखा प्रबंधक सिंडिकेट बैंक शाखा रायसिंहनगर का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 17.03.2020 प्रस्तुत किया हैं कि यदि भू अभिलेख में रजीराम के स्थान पर राजाराम दर्ज कर दिया जाता हैं तो बैंक को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–2076 चक 84 आरबी बी खाता सं. 129 व 130 में नाम राजाराम पुत्र कालूराम दर्ज हैं। प्रार्थी चक लखा टिब्बा का खाता सं. 514 व चक 84 आरबी बी का खाता सं. 93 की जमाबंदी रिकार्ड में रजीराम पुत्र कालूराम को दुरूस्त करवाकर राजाराम पुत्र कालूराम दर्ज करवाना चाहता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट अनुसार रजीराम एवं राजाराम एक ही व्यक्ति हैं। तथा नाम दुरूस्ती की अभिशंषा की हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः उक्त विवेचन एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकृत किया जाकर चक लखाटिब्बा की जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता सं. 514 एवं चक 84 आरबी बी की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं. 93 में दर्ज खातेदार का नाम रजीराम पुत्र कालूराम के स्थान पर राजाराम उर्फ रजीराम पुत्र कालूराम की दुरूस्ती ... अभिलेखों में अंकन के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.09.2021 ... न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.25 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर